

प्रखण्ड शिक्षक नियोजन 2019–2020

प्रखण्ड :- दलसिंहसराय

जिला :- समस्तीपुर

क0 स0	आवेदन क्रमांक	आवेदक का नाम	विषय	अस्वीकृत किए जाने का कारण।
1	2	3	4	5
1	9	रानी कुमारी	संस्कृत	निदेशक प्राथमिक शिक्षा के पत्रांक 1192, दिनांक 12.09.2019 के आलोक में CTET में 55 प्रतिशत से कम अंक मान्य नहीं।
2	11	दीपक श्रीवास्तव	संस्कृत	स्नातक का अंकपत्र नहीं दिया गया
3	13	अमरेन्द्र कुमार	संस्कृत	स्नातक का अंकपत्र अप्राप्त
4	15	राजीव कुमार मिश्रा	संस्कृत	माननीय उच्च न्यायालय के CWJC संख्या 12456/2008 के आलोक में नव देहली संस्थान, शिक्षक नियोजन हेतु मान्य नहीं।
5	23	अंजना कुमारी	संस्कृत	निदेशक प्राथमिक शिक्षा के पत्रांक 1192, दिनांक 12.09.2019 के आलोक में CTET में 55 प्रतिशत से कम अंक मान्य नहीं।
6	29	मिथिलेश कुमार	संस्कृत	आपत्ति में भी इन्होंने स्नातक का अंकपत्र नहीं दिया।
7	32	नील कमल झा	संस्कृत	माननीय उच्च न्यायालय के CWJC संख्या 12456/2008 के आलोक में नव देहली संस्थान, शिक्षक नियोजन हेतु मान्य नहीं।
8	33	प्रियंका	संस्कृत	माननीय उच्च न्यायालय के CWJC संख्या 12456/2008 के आलोक में नव देहली संस्थान, शिक्षक नियोजन हेतु मान्य नहीं।
9	47	अनिल कुमार झा	संस्कृत	माननीय उच्च न्यायालय के CWJC संख्या 12456/2008 के आलोक में नव देहली संस्थान, शिक्षक नियोजन हेतु मान्य नहीं।
10	55	सुजय कुमार मिश्रा	संस्कृत	माननीय उच्च न्यायालय के CWJC संख्या 12456/2008 के आलोक में नव देहली संस्थान, शिक्षक नियोजन हेतु मान्य नहीं।

क0 स0	आवेदन कर्मांक	आवेदक का नाम	विषय	अस्वीकृत किए जाने का कारण।
11	57	राहुल कुमार झा	संस्कृत	माननीय उच्च न्यायालय के CWJC संख्या 12456/2008 के आलोक में नव देहली संस्थान, शिक्षक नियोजन हेतु मान्य नहीं।
12	73	चंदन कुमार झा	संस्कृत	माननीय उच्च न्यायालय के CWJC संख्या 12456/2008 के आलोक में नव देहली संस्थान, शिक्षक नियोजन हेतु मान्य नहीं।
13	74	प्रियंका प्रियदर्शी	संस्कृत	अधिसूचन संख्या-241, दिनांक 03.04.2012 के आलोक में स्नातक में 50 प्रतिशत से कम अंक मान्य नहीं।
14	78	बृज बिहारी पाण्डेय	संस्कृत	माननीय उच्च न्यायालय के CWJC संख्या 12456/2008 के आलोक में नव देहली संस्थान, शिक्षक नियोजन हेतु मान्य नहीं।
15	82	नीरज कुमार ठाकुर	संस्कृत	निदेशक प्राथमिक शिक्षा के पत्रांक 1192, दिनांक 12.09.2019 के आलोक में CTET में 55 प्रतिशत से कम अंक मान्य नहीं।
16	93	सोनु पाण्डेय	संस्कृत	माननीय उच्च न्यायालय के CWJC संख्या 12456/2008 के आलोक में नव देहली संस्थान, शिक्षक नियोजन हेतु मान्य नहीं।
17	97	अरुण कुमार	संस्कृत	सीटीईटी की परीक्षा दिसम्बर में उत्तीर्ण मान्य नहीं है।

प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी
दलसिंहसराय

प्रखंड विकास पदाधिकारी
—सह— सचिव प्रखंड शिक्षक नियोजन ईकाई
दलसिंहसराय।

प्रखंड प्रमुख —सह— अध्यक्ष
प्रखंड शिक्षक नियोजन इकाई, दलसिंहसराय